AO
B
27/5

सत्यमेव जयते

लेखा परीक्षा सूचना

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

पत्रांक– प्र.म.ले.(सा० एवं सा०क्षे०ले०प०)/ SS-1/AP-3/89 दिनांक– 30-04-19

सेवा में,

नगर आयुक्त
नगर निगम
मथुरा वृन्दावन, मथुरा – 281001

महोदय,

सूचित किया जाता है कि आपके कार्यालय की लेखापरीक्षा दिनांक 5-6-19 से किया जाना प्रस्तावित है लेखापरीक्षा दल के सदस्य निम्नवत् हैः–

1 श्री एम०पी० श्रीवास्तव व०ले०प०अ० / ले०प०अ० (UPALA-323-0456)
2 श्री एस०के० राय स०ले०प०अ० (UPALA-323-1283)
3 श्री विवेक गुप्ता स०ले०प०अ० (UPALA-323-1256)
4 श्री रामानारायण राय व०ले०प० / ले०प० (UPALA-323-1152)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां एवं शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 2(ई) के साथ पठित धारा 18 व लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम 2007 (www.cag.gov.in) के अध्याय-2 के प्रस्तर-6 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में नियंत्रक महालेखापरीक्षक को प्राधिकार प्रदत्त है कि वहः

(क) संघ के या किसी राज्य के अथवा विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के अधीन किसी लेखा कार्यालय का निरीक्षण करे,

(ख) यह अपेक्षा करें कि कोई लेखा, रजिस्टर, कागजपत्र या अन्य दस्तावेज, जो ऐसे संव्यवहारों के बारे में हो या उनका आधार हो या उनसे अन्यथा सुसंगत हो जिन तक लेखापरीक्षा से सम्बन्धित उसके कर्तव्यों का विस्तार है, ऐसे स्थान पर भेज दिये जायें जिसे वह अपने निरीक्षण के लिए नियत करे, और

ऐसी जानकारी मांगे जिसकी उन्हें मेरा [illegible] कार्यालय [illegible]
जिसे तैयार करना उनका कर्तव्य है।

ऐसे कार्यालय या विभाग का प्रभारी व्यक्ति, जिसके लेखाओं का निरीक्षण या लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी है, ऐसे निरीक्षण के लिए सभी सुविधाएं और जानकारी के लिए किये गये अनुरोधों को यथासंभव पूरे तौर पर समुचित शीघ्रता से पूरा करेगा।

उपरोक्त के संबंध में मुख्य सचिव, उत्तर-प्रदेश शासन, लखनऊ ने पत्रांक [illegible] प्र0(सिं/रे)/दस-10(45)/12 दिनांक 04.06.2012 द्वारा समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव को निर्देशित किया है कि नियंत्रक महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां एवं शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 2(ई) व साथ पठित धारा 18 व लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम 2007 के अध्याय-2 के प्रस्तर-6 में निहित प्राविधान के अनुसार लेखापरीक्षा के समय ही सभी सुविधाएं और जानकारी के लिए लेखापरीक्षा दल द्वारा किये गये अनुरोधों को यथा सम्भव पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। उक्त का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे। लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण को शासन के संज्ञान में आने पर इसे गम्भीरता से लिया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि [illegible] निरीक्षण तिथि से लेकर प्रस्तावित लेखापरीक्षा [illegible] तक की अवधि के प्रारम्भिक लेखे [illegible] अन्य सम्बन्धित अभिलेखों को लेखापरीक्षा हेतु तैयार रखें।

कृपया पत्र की पावती सुनिश्चित करें।

भवदीय

[signature]

सहायक परीक्षा अधिकारी/एस0एस0-1 (नि0 [illegible])

71

नगर आयुक्त
नगर निगम - मथुरा, वृंदावन

कांजी हाउस

कृपया विगत लेखापरीक्षा से वर्ष तक के निम्नलिखित अभिलेख एवं सूचनायें लेखा परीक्षा को प्रस्तुत कराने की व्यवस्था करें।

(1) इकाई में संचालित कांजी हाउस की संख्या।

(2) सम्प्रेक्षावधि में पकड़े गये आवारा पशुओं की संख्या।

(3) सम्प्रेक्षावधि में पकड़े गये आवारा पशुओं से प्राप्त जुर्माने की धनराशि का विवरण।

(4) सम्प्रेक्षावधि में पशुओं के चारे पर किये गये व्यय का विवरण एवं चारे की क्रय सम्बन्धी पत्रावली।

व0लेखा परीक्षा अधिकारी

सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी / AP-03

~~नगर आयुक्त~~

(1)

नगर आयुक्त
नगर निगम- मथुरा, वृंदावन
मथुरा

कृपया निम्नलिखित सूचनायें/अभिलेख लेखापरीक्षा के सम्मुख प्रस्तुत कराने की व्यवस्था करें।

1 संस्था का नाम पता तथा दूरभाष संख्या
2 नगर निगम की जनसंख्या
3 नगर निगम का भौगोलिक क्षेत्रफल
4 वाड़ों की संख्या
5 चुने गये सदस्यों की संख्या
6 मनोनीत सदस्यों की संख्या
7 नगर निगम कार्यकारी समिति की बैठकों का कार्यवृत्त
8 वर्ष 2017–18 2018–19 में नगर निकाय/सदन की बैठकों की संख्या
9 विभागवार गठित समितियों का विवरण निम्न प्रारूप में प्रस्तुत करें।

क्रम संख्या	विभाग का नाम	समिति का नाम

व0लेखा परीक्षा अधिकारी

Ashok 6.6.19
सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी/AP-13

(3)

नगर आयुक्त
नगर निगम- मथुरा, वृंदावन
मथुरा

निम्नलिखित सूचनायें एवं अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे।

1 इकाई का गठन किस वर्ष में हुआ था।
2 नगर निगम के महापौर का नाम एवं कार्यकाल
3 इकाई के नगर आयुक्त का नाम एवं कार्यकाल
4 इकाई के लेखाधिकारी/लेखाकार का नाम तथा योग्यता
5 क्या इकाई के लेखाधिकारी/लेखाकार उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित है?
6 क्या लेखाकार ने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की है?
7 इकाई द्वारा यदि बाइलाज तैयार किया गया हो तो उसे लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करायें।
8 यदि बाइलाज तैयार नही किया गया हो तो कार्यो का क्रियान्वयन किस आधार पर किया जा रहा है ?

व0लेखा परीक्षा अधिकारी

6.6.19
सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी/AP-03

(23)

नगर आयुक्त
नगर निगम – मथुरा, वृंदावन
मथुरा

कृपया निम्नलिखित सूचनायें/अभिलेख लेखा परीक्षा को प्रस्तुत कराने की व्यवस्था करें:

1 रोकड़ बही एवं सहायक रोकड़ बहियां
2 चेक बुक एवं चेक निर्गत पंजिका
3 नगर पालिका परिषद/नगर निगम द्वारा कुल कितने बैंकों से लेन–देन (खाता) सम्पादित किया जा रहा है बैंक खाता सं. सहित बैंकों का नाम व 31 मार्च 2019 का अवशेष बतायें।
4 मार्च 2018 एव 2019 का बैंक समाधान विवरण तथा बैंक पास बुक/स्टेटमेंट प्रस्तुत करें
5 अनुदान पंजिका (सभी योजनाओं की)
6 प्रगति आख्या/प्रतिवेदन वार्शिक
7 मासिक लेखे
8 उपयोगिता प्रमाण पत्र
9 धन वसूली/प्राप्ति रसीदें, बुकलेट निर्गत पंजिका
10 प्राप्त धनराशि के बैंक में जमा किये जाने के चालान की प्रति एवं भुगतान वाउचर्स
11 क्या इकाई के लेखे का रख रखाव Accrual based accounting system के अनुसार किया जा रहा है।
12 क्या Accrual based accounting system के परिपेक्ष्य में इकाई के स्वामित्व में चल अचल सम्पत्तियों का मूल्यांकन कर जरनल खाता तैयार किया गया है? प्रगति से अवगत करायें।

Akhi 6.6.19

व0लेखा परीक्षा अधिकारी सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी/AP-3